

महानिदेशालय कारागार राजस्थान, जयपुर

क्रमांक: निरी / दौरे / आईजी / डीआईजी / 182 / पार्ट-6 / 15297-418

दिनांक: 16-6-2020

—: परिपत्र :-

विषय:— अधिकारियों द्वारा किये जाने वाले दौरे एवं रात्रि विश्राम।

इस कार्यालय के पूर्व में जारी परिपत्र क्रमांक निरी/दौरे/आईजी/डीआईजी /182/पार्ट-6/5670-771 दिनांक 02.05.2019 के अधिकमण में विभिन्न स्तरीय विभागीय अधिकारियों द्वारा वित्तीय वर्ष 2020-21 हेतु क्षेत्राधिकार में दौरे एवं रात्रि विश्राम की व्यवस्था को प्रभावी रूप से लागू करने हेतु निम्नानुसार मासिक एवं वार्षिक मापदण्ड निर्धारित किये जाते हैं:—

क्र.सं.	पदनाम	दौरे		रात्रि विश्राम	
		प्रतिमाह	वार्षिक	प्रतिमाह	वार्षिक
1.	महानिरीक्षक कारागार	1	12	1	12
2.	समस्त उप महानिरीक्षक कारागार रेंज	4	48	2	24
3.	समस्त, मण्डलाधिकारी एवं अधीक्षक, केन्द्रीय कारागृह	2	24	—	—
4.	समस्त, अधीक्षक/उपाधीक्षक, केन्द्रीय/जिला कारागृह	1	12	—	—

(मालिनी अग्रवाल)
अति. महानिदेशक कारागार
राजस्थान जयपुर

प्रतिलिपि:—निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु:—

1. महानिरीक्षक कारागार राजस्थान, जयपुर।
2. उप महानिरीक्षक कारागार रेंज, जयपुर/जोधपुर/उदयपुर।
3. नोडल अधिकारी (राजस्थान संपर्क पोर्टल), महानिदेशालय कारागार राजस्थान जयपुर को प्रेषित कर लेख है कि विभाग के अधिकारियों से निर्धारित नोर्म्स अनुसार क्रियान्विति प्रतिमाह राजस्थान संपर्क पोर्टल पर अपलोड करवाने संबंधी आवश्यक कार्यवाही करावे।
4. समस्त अधीक्षक/उपाधीक्षक/प्रभाराधिकारी, केन्द्रीय/जिला/उप कारागृह, राजस्थान।
5. प्राचार्य, कारागार प्रशिक्षण संस्थान, अजमेर।
6. अधीक्षक, उच्च सुरक्षा कारागृह, अजमेर।
7. अधीक्षक, विशिष्ट केन्द्रीय कारागृह, श्याल्यावास, दौसा।
8. अधीक्षक, महिला बंदी सुधार गृह, जयपुर/जोधपुर/भरतपुर/बीकानेर/उदयपुर/कोटा/अजमेर।
9. निजी सचिव, महानिदेशक एवं महानिरीक्षक कारागार राजस्थान, जयपुर।
10. अति. निजी सचिव, महानिरीक्षक कारागार राजस्थान, जयपुर।
11. प्रभारी, किशोर बंदी सुधारगृह, जैतारण।
12. प्रभारी, कम्प्यूटर लैब, महानिदेशालय कारागार राजस्थान, जयपुर को वास्ते विभागीय वेबसाइट/राजस्थान संपर्क पोर्टल पर अपलोड करने हेतु।


अति. महानिदेशक कारागार
राजस्थान जयपुर

महानिदेशालय कारागार राजस्थान, जयपुर

क्रमांक:- निरी / दौरे / आईजी / डीआईजी / 182 / पार्ट-6 / 15/76 - 296

दिनांक:- 16-6-2020

परिपत्र

विषय :- विभागीय अधिकारियों के वार्षिक निरीक्षण हेतु मापदण्ड।

इस कार्यालय के पूर्व में जारी परिपत्र क्रमांक: निरी / दौरे / आईजी / डीआईजी / 182 / पार्ट-06 / 5565-669 दिनांक 02.05.2019 के अधिकरण में विभिन्न स्तरीय विभागीय अधिकारियों के वार्षिक निरीक्षण हेतु मापदण्ड निम्नानुसार निर्धारित किये जाते हैं:-

क. सं.	अधिकारी का पदनाम	कारागृह की श्रेणी					
		केन्द्रीय कारागृह	जिला कारागृह	उप कारागृह	बंदी खुला शिविर	किशोर सुधार गृह	महिला सुधार गृह
1.	महानिरीक्षक कारागार	02	01	—	—	—	—
2.	उप महानिरीक्षक कारागार जयपुर रेंज जयपुर	02	04	07	07	—	02
3.	उप महानिरीक्षक कारागार जोधपुर रेंज जोधपुर	02	04	07	07	01	01
4.	उप महानिरीक्षक कारागार उदयपुर रेंज उदयपुर	02	04	10	07	—	01
5.	अधीक्षक केन्द्रीय कारागृह	स्वयं की कारागृह का वर्ष में 02 बार	क्षेत्राधीन प्रत्येक जिला कारागृह का वर्ष में 01 बार	क्षेत्राधीन प्रत्येक उप कारागृह का वर्ष में 01 बार	क्षेत्राधीन प्रत्येक ब.खु. शिविर का वर्ष में 01 बार	क्षेत्राधीन कि.बं. सु.गृह का वर्ष में 01 बार	क्षेत्राधीन म.सु.गृ. का वर्ष में 01 बार
6.	अधीक्षक / उपाधीक्षक, जिला कारागृह "ए" व "बी" श्रेणी	—	स्वयं के जि.का. का वर्ष में 02 बार	क्षेत्राधीन प्रत्येक उप कारागृह का वर्ष में 01 बार	क्षेत्राधीन प्रत्येक बं.खु.शिविर का वर्ष में 02 बार	—	—

[Type text]

- निरीक्षण अवधि में कार्य दिवस :- केन्द्रीय एवं जिला कारागृह पर-2, दिवस शेष पर-1 दिवस
➤ निरीक्षणावधि में रात्रि विश्राम :- केन्द्रीय एवं जिला कारागृह पर-1, दिवस शेष पर-शून्य
➤ अधीक्षक एवं नीचे के स्तर के अधिकारी के लिए रात्रि विश्राम -शून्य
➤ उपरोक्त निर्धारित मापदण्ड अनुसार वार्षिक निरीक्षण किये जाने अनिवार्य है।


(मालिनी अग्रवाल)
अति. महानिदेशक कारागार
राजस्थान जयपुर

प्रतिलिपि:-निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु:-

1. महानिरीक्षक कारागार राजस्थान, जयपुर।
2. उप महानिरीक्षक कारागार रेंज, जयपुर/जोधपुर/उदयपुर।
3. नोडल अधिकारी (राजस्थान संपर्क पोर्टल), महानिदेशालय कारागार राजस्थान जयपुर को प्रेषित कर लेख है कि विभाग के अधिकारियों से निर्धारित नोर्म्स अनुसार क्रियान्विति प्रतिमाह राजस्थान संपर्क पोर्टल पर अपलोड करवाने संबंधी आवश्यक कार्यवाही करावे।
4. समस्त अधीक्षक/उपाधीक्षक/प्रभाराधिकारी, केन्द्रीय/जिला/उप कारागृह।
5. प्राचार्य, कारागार प्रशिक्षण संस्थान, अजमेर।
6. अधीक्षक, उच्च सुरक्षा कारागृह, अजमेर।
7. अधीक्षक, विशिष्ट केन्द्रीय कारागृह, श्याल्यावास, दौसा
8. उपाधीक्षक, महिला बंदी सुधार गृह, जयपुर/जोधपुर/भरतपुर/उदयपुर/कोटा/अजमेर/बीकानेर।
9. निजी सचिव, महानिदेशक एवं महानिरीक्षक कारागार राजस्थान, जयपुर।
10. अति. निजी सचिव, महानिरीक्षक कारागार राजस्थान, जयपुर।
11. प्रभारी, किशोर बंदी सुधारगृह, जैतारण।
12. प्रभारी, कम्प्यूटर लैब, मुख्यालय कारागार राजस्थान, जयपुर को वास्ते विभागीय बेवसाइट/राजस्थान संपर्क पोर्टल पर अपलोड करने हेतु।


अति. महानिदेशक कारागार
राजस्थान जयपुर